

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

(58)

विशेष कार्य पदाधिकारी विषय: बेल्ट्रॉन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में सविदा पर नियोजित प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर/आई०टी० बॉय/आई०टी० गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।



Regarding - Sanction of Ex-Gratia Grant of Rs. 4,00,000.00 (Four Lakhs) only to the nearest Independent of Programmer/Stenographer/I.T. Boy/I.T. Girls working through outsourcing by Beltron on contract basis in different Departments/Offices in case of their death during service period.]

राज्य सरकार "न्याय के साथ विकास" के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 27.07.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा अपने रिपोर्ट कार्ड जारी करने के अवसर पर घोषणा की गई थी कि "सविदा पर सभी नियोजित शिक्षक, टोल सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी, आशा कार्यकर्ता, ममता, ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका, विद्यालय के रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय/सहायक अगिर्यता एवं विकित्सक, किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि दी जायेगी।

उक्त के आलोक में सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या 1552 दिनांक 09.11.2015 के द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/आई०टी० मैनेजर को सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत है। किन्तु प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर/आई०टी० बॉय/आई०टी० गर्ल्स इस सुविधा से वंचित हैं, जबकि इन तीनों प्रकार के सविदा कर्मियों की सेवा बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में उपलब्ध करायी जा रही है।

3. विदित हो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से बाह्य सेवा के आधार पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त प्रोग्रामर/आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)/आई०टी० बॉय/आई०टी० गर्ल्स की भी सेवाएँ विभिन्न विभागों/ कार्यालयों को समान शर्तों पर उपलब्ध करायी जाती है, जो इस लाभ से वंचित है। वर्णित स्थिति में इन कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजना मद व्यय शीर्ष- मुख्य सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष- 0027-सूचना प्रावैधिकी विभाग, विपत्र कोड-25-3451000900027, विषय शीर्ष-0027.37.01-अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत सं. प्रावधानित राशि से की जायेगी।

अतः बेल्ट्रॉन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में सविदा पर नियोजित यथा-प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर/आई० टी० बॉय/आई०टी० गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. उक्त संकल्प को दिनांक 04.12.2018 को गद संख्या-06 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

152

ज्ञापांक-01 सू०प्रा०(स्था०) 16/2015/1520 पटना, दिनांक 10/12/2018
प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सी० डी० राहित) उप सचिव (ई मजदूर), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-01 सू०प्रा०(स्था०) 16/2015/1520 पटना, दिनांक 10/12/2018
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-01 सू०प्रा०(स्था०) 16/2015/1520 पटना, दिनांक 10/12/2018
प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-01-सू०प्रा०(स्था०) 16/2015/1520 पटना, दिनांक 10/12/2018
प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-01-सू०प्रा०(स्था०) 16/2015/1520 पटना, दिनांक 10/12/2018
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
आपको निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

ज्ञापांक-01-सू०प्रा०(स्था०) 16/2015/1520 पटना, दिनांक 10/12/2018
प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

नोट :- बेल्ट्रॉन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा पर नियोजित प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर/आई०टी० ब्यॉय/आई०टी० गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने से संबंधित संकल्प को इन्टरनेट पर वेबसाइट <http://gov.bih.nic.in> एवं www.biharonline.gov.in के माध्यम से डाउन लोड किया जा सकता है।

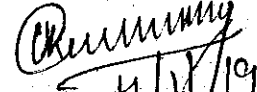
बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:-1/अ0प्र0-01-17/2011

158

/पटना, दिनांक: ५-१-१९

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(उदय कान्त चौधरी)
सरकार के अवर सचिव